न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 153 / 2019

निर्णय दिनांक :–08.03.2022

उनवानी दावा :

1. किशनलाल पुत्र स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. नर्बदा पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 58 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मोत्या पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. गंगा पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 53 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. जमना पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. लादी पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति मीणा उम्र बालिग निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोपाल पुत्र स्व. श्री हरला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. सोहनी पुत्री स्व. श्री हरला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक(राज.)
5. तहसीलदार, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबू लाल मीणा
अधिवक्ता वादीगण

एकक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 4 व 5

Gi. dep

वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण 1 एवं 2 ता 3 के पिता की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 7 बीघा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 1 बीस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 4 बीस्वा भूमि वाके तनग्राम नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता सुखदेवा पुत्र भोलू का स्सिा 1/3 व प्रतिवादीगण नं0 1 के पिता सुखदेवा पुत्र जगगा मीणा हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण नं0 2 ता 3 के पिता हरला पुत्र बजरंगा गुर्जर का हिस्सा 1/3 है।

वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 ता 3 के पिता की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 7 बीघा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 1 बीस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 4 बीस्वा भूमि हाल खाता संख्या 343 खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.55 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.69 है0 वाके तनग्राम नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 बनाये गये है।

सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता सुखदेवा पुत्र भोलू कुम्हार के बजाय राजस्व रिकार्ड में नाम सुखदेवा पुत्र भोलू गुर्जर कर दिया जो गलत है और इसके अलावा राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही पूर्वक प्रतिवादीगण नं0 1 के पिता के नाम हिस्सा 1/3 के बजाय 1/2 व प्रतिवादीगण नं0 ता 3 के पिता के नाम हिस्सा 1/4 एवं वादीगण के पिता के नाम हिस्सा 1/4 कर दिया जो गलत है जबकि उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण के पिता का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण नं0 1 के पिता का हिस्सा भी 1/3 व 2 ता 3 के पिता का हिस्सा 1/3 है। इस प्रकार सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता की जाति व हिस्सा गलत कर दिया जो हाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाने योग्य है।

हाल राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 343 कुला खसरा 7 कुल रकबा 3.69 है0 भूमि वाके तन नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक में वादीगण के पिता सुखदेवा पुत्र भोलू जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 के बजाय हाल राजस्व रिकार्ड में सुखदेवा पुत्र भोलू कोम कुम्हार हिस्सा 1/3 की उद्घोषणा खातेदारी किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण नं. 1 के पिता के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के बजाय 1/3 एवं प्रतिवादीगण नं0 2 ता 3 के पिता के नाम हिस्सा 1/4 के बजाय 1/3 दुरूरस्त किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।

वादीगण के पिता के नाम व हिस्से में राजस्व कर्मचारियों की गलती से त्रुटि होने एवं प्रतिवादीगण नं0 1 के पिता के नाम हिस्सा 1/2 होने एवं प्रतिवादीगण नं0 2 ता 3 के पिता के नाम हिस्सा 1/2 होने एवं प्रतिवादीगण नं0 2 ता 3 के नाम हिस्सा 1/4 होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 को राजस्व लगान आदि अदा करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस कारण प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के पिता की हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 1/3 में प्रतिवादीगण स्वयं जरिये नोकर चाकर, दीगर पारिवारिक सदस्यों के मजामहत नही करें एवं पाबन्द रहे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ओर से जवाब वाद पेरोकार सरकार द्वारा पेश किया गया जो इस प्रकार है :—बिन्दु संख्या 01 वादी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 02 वादी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 03 अस्वीकार है वादी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 04 वादी स्वंय सिद्ध करे और न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 05 कानूनी है, न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 06, 07 एवं 08 कानूनी है, न्यायालय से संबंधित है। विशेष :— वादी को राजस्व रिकार्ड, गवाह वादी से वाद को सिद्ध करना न्यायोचित होगा। वादी ने मिलान क्षैत्रफल पेश नही किया है। मिलान क्षैत्रफल से सिद्ध करे।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जानें से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

153/2019 उनवान:– किशनलाल वगै. बनाम लादी वगै.
ाकः–08.03.2022

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी किशनलाल पुत्र स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 62 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी पेश किया जिसमें वादी ने वाद के तथ्यो को ही शपथ पत्र में पेश किया। वादी ने प्रदर्श कराये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम नयागावं गोठड़ा, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 343 प्रदर्श–3 खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2014–29 प्रदर्श–4 नकल छायाप्रति मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–65 प्रदर्श–5 नकल हाल प्रति मिसल बन्दोबस्त खाता संख्या 183 सम्वत 2046–65 करवाये। नकल मिलान क्षैत्रफल 2046–65 पेश किये । वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पी. डब्ल्यू–2 भंवरलाल पुत्र श्री कंवरीलाल जाति मीणा उम्र 43 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी व पी. डब्ल्यू–3 शिवराज मीणा पुत्र श्री कंवरीलाल जाति मीणा उम्र 43 वर्ष निवासी टोकरावास तहसील दूनी ने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि में वादी व प्रतिवादीगण को एक ही गांव में होने से जानता हूं तथा वाद वर्णित आराजीयात मेरे खातेदारी खेते के पास ही है इस कारण जमीन को जानता हूं। पी. डब्लयू–2 ने भी वाद का समर्थन करते हुए वाद के तथ्यो का ही अंकन अपने शपथ पत्र में करवाया।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–3 में वादीगण के पिता का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के पिता का हिस्सा 1/3 बराबर है व जाति सही है। प्रदर्श–4 में राजस्व कार्मिको से त्रुटिवश सुखदेवा पुत्र जग्गा मीणा का हिस्सा 1/2 जाति मीना, हरला पुत्र बख्शा हि0 1/3 सुखदेवा पुत्र भोलू हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर कर दिया जबकि प्रदर्श–3 में जाति कुम्हार दर्ज रिकॉर्ड है। इसके बाद कमागत जमाबन्दीयो में इसी प्रकार हिस्सा व जाति गुर्जर चला आ रहा है और वर्तमान जमाबन्दी में इसी

प्रकार हिस्सा व जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है जिसको प्रदर्श—3 के अनुसार दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श—2 जमाबन्दी सम्वत 2071—74 खाता संख्या 343 में सुखदेवा पुत्र जग्गा हि0 1/2 कोम मीना हरला पुत्र बजरंगा हि0 1/4 सुखदेवा पुत्र भोलू हि0 1/4 कोम गुजर सा. टोकरावास का अंकन है तथा नामान्तकरण संख्या 636 दिनांक 5.12.14 विरासत से सुखदेवा पुत्र जग्गा हि0 1/2 के बजाय लादी पुत्री सुखदेवा के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ। प्रदर्श—3 खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2014—29 के कॉलम 5 में सुखदेवा पुत्र जग्गा मीना हि0 1/3 हरला पुत्र बख्शा गूजर हि0 1/3 सुखदेवा पुत्र भोलू कुम्हार हि0 1/3 सा. टोकरावास दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श—4 नकल छायाप्रति मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046—65 सुखदेव पुत्र जग्गा हि0 1/2 जाति मीना हरला पुत्र बंख्शा गूजर हि0 1/3 सुखदेवा पुत्र भोलू हि0 1/3 जाति गुजर सा. टोकरावास खातेदार दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जबकि प्रदर्श—3 के अनुसार प्रत्येक का हिस्सा 1/3—1/3 होना चाहिए। प्रदर्श—5 के अनुसार उक्त आराजी के नये नम्बर कुल किता 7 रकबा 3.69 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 509 मिन 5 बीघा 1 बिसवा से हाल ख. नं. 1118 रकबा 0.13 है0, 1124 रकबा 070 है0, 1125 रकबा 0.24 है0, 1126 रकबा 0.20 है0 व साबिक ख. नं. 490 मिन से हाल ख. नं. 1191 रकबा 0.55 है0, 1189 रकबा 1.27 है0, 1190 रकबा 0.60 है0 बनाये गये है। प्रदर्श—2 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071—74 में सुखदेवा पुत्र जग्गा का हिस्सा 1/2 कोम मीना, हरला पुत्र बजरंगा का हिस्सा 1/4 व सुखदेवा पुत्र भोलू का 1/4 हिस्सा कोम गुजर दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें हिस्सा प्रदर्श—3 के अनुसार नहीं है जबकि जाति प्रदर्श—4 अनुसार है। अतः वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 343 कुल किता 7 कुल रकबा 3.69 है0 वाके ग्राम नयागांव गोठड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में दर्ज सुखदेवा पुत्र जग्गा का हिस्सा 1/2 कोम मीना के स्थान पर लादी पुत्री सुखदेवा

हिस्सा 1/3 कोम मीणा हरला पुत्र बजरंगा हिस्सा 1/3 व सुखदेवा पुत्र भोलू गुर्जर हिस्सा 1/4 के स्थान पर सुखदेवा पुत्र भोलू कोम कुम्हार हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...,...................................मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो..

उनवानी दावा :

1. किशनलाल पुत्र स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. नर्बदा पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 58 वर्ष निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मोत्या पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. गंगा पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 53 वर्ष निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. जमना पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. लादी पुत्री स्व. श्री सुखदेव जाति मीणा उम्र बालिग निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोपाल पुत्र स्व. श्री हरला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. सोहनी पुत्री स्व. श्री हरला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी टोकरवास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक(राज.)
5. तहसीलदार, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 153 सन् 2019

153/2019 उनवानः– किशनलाल वगै. बनाम लादी वगै.

कः–08.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बाबू लाल मीणा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 343 कुल किता 7 कुल रकबा 3.69 है0 वाके ग्राम नयागांव गोठड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में दर्ज सुखदेवा पुत्र जग्गा का हिस्सा 1/2 कोम मीना के स्थान पर लादी पुत्री सुखदेवा हिस्सा 1/3 कोम मीणा हरला पुत्र बजरंगा हिस्सा 1/3 व सुखदेवा पुत्र भोलू गुर्जर हिस्सा 1/4 के स्थान पर सुखदेवा पुत्र भोलू कोम कुम्हार हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....
...............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त..

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)........

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए